भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3128

गुरूवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक)

एबीआरवाई के अंतर्गत सृजित रोजगार

3128 # श्री राजेन्द्र गहलोत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के आरंभ से अब तक राजस्थान राज्य सहित देश भर में इसके अंतर्गत सृजित रोजगारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) एबीआरवाई के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक पात्रता और मानदंडों का ब्यौरा क्या है और क्या हाल ही में इन मानदंडों में कोई संशोधन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एबीआरवाई को सभी राज्यों और क्षेत्रों में समान रूप से कार्यान्वित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान को पूरा करने तथा नियोक्ताओं को नए रोजगार के सृजन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) शुरू की गई थी। इस योजना की संक्षिप्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- इस योजना के तहत वे कर्मचारी लाभ पाने के पात्र थे जिनका मासिक वेतन 15,000/- रु. से कम था और जो दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे तथा उनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) नहीं था।
- इस योजना के तहत वे कर्मचारी भी लाभ पाने के पात्र थे जिनकी कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी चली गई थी और जो दिनांक 30.09.2020 तक किसी ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे।

- भारत सरकार ने ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की संख्या के आधार पर, दोनों अर्थात कर्मचारियों के देय अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%) अथवा केवल कर्मचारियों के देय अंशदान को 2 वर्ष के लिए वहन किया।
- यह योजना दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से आरंभ हुई थी तथा पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों का पंजीकरण 31.03.2022 तक किया गया था। इस योजना के तहत दिनांक 31.03.2022 तक पंजीकृत लाभार्थियों को पंजीकरण की अवधि से 2 वर्षों तक इस योजना के तहत लाभ मिलता रहा।

एबीआरवाई के तहत पंजीकृत प्रत्येक प्रतिष्ठान/नए कर्मचारी को योजना के तहत लाभ प्राप्त हुआ जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते थे।

योजना के प्रारंभ से लेकर दिनांक 31.03.2024 तक, राजस्थान राज्य सहित देश भर में 60.49 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जा चुका है। एबीआरवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का राजस्थान राज्य सहित राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 27.03.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3128 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एबीआरवाई लाभार्थियों का ब्यौरा (31.03.2024 तक)

पंक्ति लेबल	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	479
आंध्र प्रदेश	166930
अरुणाचल प्रदेश	514
असम	19918
बिहार	28576
चंडीगढ़	13474
छत्तीसगढ	85105
दिल्ली	227076
गोवा	20948
गुजरात	591126
हरियाणा	400760
हिमाचल प्रदेश	83382
जम्मू और कश्मीर	19384
झारखंड	62776
कर्नाटक	485462
केरल	96343
लद्दाख	190
लक्षद्वीप	9
मध्य प्रदेश	205901
महाराष्ट्र	978836
मणिपुर	1698
मेघालय	1224
मिजोरम	377
नागालैंड	226
ओडिशा	89360
पुडुचेरी	14746
पंजाब	222363
राजस्थान	326998
सिक्किम	4008
तमिलनाडु	804738
तेलंगाना	283362
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	52911
त्रिपुरा	5440
उत्तर प्रदेश	433724
उत्तराखंड	93521
पश्चिम बंगाल	227402
सकल योग	**6049287**

स्रोत: ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय